

मैसर्स देवा मेटल पाउडर्स प्राईवेट लिमिटेड

बनाम

कमीशनर ट्रेड टैक्स, यू.पी.

4 दिसंबर, 2007

[डाॅ. अरिजित पासायत और पी. सथशिवम जेजे.]

संक्षेप में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि है कि निर्धारित एल्युमीनियम पाउडर का कारोबार करता था। मूल निर्धारण आदेश में एल्युमीनियम पाउडर को धातु के रूप में माना गया था और तदनुसार 2.2% की दर से कर के लिए उत्तरदायी माना गया था। निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर राज्य अधिनियम, 1948 की धारा 22 के तहत कार्यवाही शुरू इस आधार पर की कि इस न्यायालय ने हिंदुस्तान एल्युमीनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [1981(3) एससीसी 578] के प्रकरण में विधि में प्रविष्ट "सभी प्रकार के खनिजों, अयस्कों, धातुओं और मिश्र धातुओं सहित शीट और सर्कल" पर विचार करते हुए माना की इस प्रविष्टि के तहत केवल प्राथमिक धातुओं को शामिल रखने की मंशा प्रकट की गई है। परिणामस्वरूप मूल्यांकन अधिकारी ने धारा 22 राज्य अधिनियम के तहत मूल्यांकन आदेशों को संशोधित कर एल्युमीनियम पाउडर को एक अवर्गीकृत वस्तु के रूप में मानते हुए उस पर उचित कर लगाया जो की पहले कि अपेक्षा काफी अधिक था।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने माना की इस प्रकरण में धारा 22 राज्य अधिनियम का कोई अनुप्रयोग नहीं था और असेसमेंट को रद्द करना नायायोचित माना। वर्तमान प्रत्यर्थी की ओर से सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्रवाई स्पष्ट रूप से संधार्य एवम वैधानिक रूप से सही है।

हाजा न्यायालय से समक्ष अपील में अपीलकर्ता ने तर्क किया कि यह एक ऐसा मामला है जहां राज्य अधिनियम की धारा 22 लागू नहीं होता है। उक्त प्रावधान केवल उस मामले पर लागू होता है जहां त्रुटि रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और जहां कोई जहां कोई मामला विवादित है वहां राज्य अधिनियम की धारा 22 के तहत कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।

अपील स्वीकार करते हुए इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1.1 अधिनियम की धारा 22 पर एक नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि रिकॉर्ड से स्पष्ट गलती सुधार योग्य है। धारा 22 के प्रावधानों को आकर्षित होने के लिए, मौजूदा गलती प्रत्यक्ष होनी चाहिए और वह पत्रावली के पठान से स्पष्ट होनी चाहिए। हालाँकि, गलती को सुधारने की शक्ति उन मामलों पर लागू नहीं होती जहां पुनरासीक्षण या पुनर्विलोकन का प्रावधान है। "गलती" का अर्थ है गलत तरीके से समझना; व्याख्या करने में त्रुटि करना; यह एक त्रुटि या मिथ्या या भ्रान्ति है। "स्पष्ट" का अर्थ है दृश्यमान; देखने में सक्षम, आसानी से समझ आने वाला। धारा 22 के अंतर्गत परिकल्पना की गई त्रुटि वह है जिसे सुधारा जा सकता है वह है जो पेटेंट है, जो स्पष्ट है और जिसे बिना तर्क या विवाद पर निर्भर नहीं होता है। (Para 10)

1.2 हमारे विचार में किसी आदेश में सुधार का मतलब मूल रूप से पारित आदेश को खत्म करना और उसके स्थान पर एक नया आदेश देना नहीं है। वर्तमान मामले में राजस्व विभाग जो करने का इरादा रखता था, वह वास्तव में आदेश का प्रतिस्थापन है जो हमारे अनुसार धारा 22 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य नहीं है और इसलिए, उच्च न्यायालय का यह मानना कि प्रत्यक्ष रूप से गलती हुई है, वह उचित निष्कर्ष नहीं था। धारा 22 के तहत आवेदन की स्वीकृत के लिए त्रुटि पत्रावली से "स्पष्ट" होनी चाहिए। धारा 22 किसी आदेश को पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन द्वारा पलटने में सक्षम नहीं बनाता है, लेकिन केवल कुछ त्रुटि को ठीक करने की अनुमति देता है जो

पत्रावली पर साफ एवम स्पष्ट रूप से मौजूद है। जहां कोई त्रुटि स्वयं-स्पष्ट नहीं है, वह एक स्पष्ट त्रुटि नहीं रह जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 22 के तहत सुधारी जा सकने वाली गलती लिपिकीय या गुणा, भाग, जोड़ आदि संबंधित गलती तक ही सीमित नहीं है। परंतु दूसरी ओर, यह किसी ऐसी त्रुटि को अंगीकृत नहीं करता है जिससे जांच, तर्क या सबूत की जटिल प्रक्रिया द्वारा खोजा जा सकता है। उपरोक्त विवेचना के अनुसार, उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से सतत नहीं है और इसे अपास्त किया जाता न्याय दृष्टि से उपयुक्त होना प्रतीत होता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस मुद्दे पर कोई राय व्यक्त नहीं की है कि क्या कर के भुगतान के उद्देश्य से एल्युमीनियम पाउडर को "प्राथमिक रूप में धातु" माना जा सकता है या नहीं। केवल धारा 22 के तहत सुधार की प्रक्रिया आस्वीकरणीय है और इस प्रकरण में इससे ज्यादा कुछ भी निर्णीत करने योग्य शेष नहीं है। (Para 10, 11 and 13)

मैसर्स कर्मचंद थापर एवं ब्रदर्स (काॅल सेल्स) लि. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (1976) 4 एस.सी.सी. 257, को इस प्रकरण में अप्रयुक्त माना गया है।

हिन्दूस्तान एल्यूमिनियम काॅर्पोरेशन लि. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (1981) 3 SCC 578; मैसर्स थुगभद्रा इंडस्ट्रीज लि. बनाम ऑफ आन्ध्रप्रदेश सरकार जरिये डी.वाई. कमीशनर ऑफ काॅमर्शियल टेक्स, अनंतपुर AIR (1964) SC 1372; सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण हेगड़े बनाम मलिकार्जून भगवानप्पा त्रियूमले, AIR (1960) SC 137 और मास्टर कंस्ट्रक्शन को. (पी) लि. बनाम ओडिसा राज्य (1966) 17 STC 360, को संदर्भ में लिया गया।

यह निर्णय डाॅ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति प्रदान दी गई।
2. इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अप्रत्यार्थी द्वारा दायर व्यापार कर

पुनरीक्षण प्रकरण संख्या 1055 और 1070/ 1998 को अनुमति दी गई थी। इस प्रकरण में दो पुनरीक्षण याचिका दायर किए गए हैं जो की धारा 11, उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 (संक्षेप में राज्य अधिनियम) और केंद्रीय व्यापार कर अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'केंद्रीय अधिनियम') के तहत दायर हैं।

3. संक्षेप में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि इस प्रकार है: अपीलकर्ता जिसे इसके उपरांत आयकर निर्धारिती से भी वर्णित किया जाएगा, वह एल्यूमीनियम पाउडर का कारोबार करता था। राज्य अधिनियम की धारा 7(3) और केंद्रीय अधिनियम की धारा 9 के आलोक में पारित मूल मूल्यांकन आदेश में, एल्यूमीनियम पाउडर को धातु के रूप में माना गया था और तदनुसार 2.2% की दर से कर के लिए उत्तरदायी माना गया था। निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर राज्य अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यवाही शुरू इस आधार पर की कि इस न्यायालय ने हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [1981(3) एससीसी 578] के प्रकरण में विधि में प्रविष्ट "सभी प्रकार के खनिजों, अयस्कों, धातुओं और मिश्र धातुओं सहित शीट और सर्कल" पर विचार करते हुए माना की इस प्रविष्टि के तहत केवल प्राथमिक धातुओं को शामिल रखने की मंशा प्रकट की गई है। यह भी माना गया कि एल्यूमीनियम धातु से बनी चादरें और गोलाकार "धातु" के श्रेणी में नहीं आते हैं जिसके परिणामस्वरूप मूल्यांकन अधिकारी ने धारा 22 राज्य अधिनियम के तहत मूल्यांकन आदेशों को संशोधित कर एल्यूमीनियम पाउडर को एक अवर्गीकृत वस्तु के रूप में मानते हुए उस पर उचित कर लगाया। निर्धारिती द्वारा दायर अपील में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने माना की इस प्रकरण में धारा 22 राज्य अधिनियम का कोई अनुप्रयोग नहीं था और असेसमेंट को रद्द करना नायायोचित मानते हुए उसे अपास्त घोषित किया। वर्तमान आप्रत्यार्थी ने सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल, वाराणसी बेंच (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') के समक्ष अपील दायर की जिन्होंने ने भी अपील खारिज कर दिया। दायर पुनरीक्षण याचिकाओं में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा

22 के तहत कार्रवाई स्पष्ट रूप से संधार्य एवम वैधानिक रूप से सही है। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के एक निर्णय करम चंद थापर एंड ब्रदर्स ( कोल सेल्स) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य । [(1976) 4 एससीसी 257] का हवाला दिया और माना की इस न्यायालय का निर्णय धारा 22 राज्य अधिनियम के संदर्भ में त्रुटि के सुधार का आधार हो सकता है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता ने तर्क किया की पाउडर के रूप में भी एल्युमीनियम पाउडर अपने प्राथमिक रूप एल्युमीनियम में ही रहता है और इसलिए, अधिनियम की धारा 22 लागू नहीं होती है परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क किया कि यह एक ऐसा मामला है जहां राज्य अधिनियम की धारा 22 लागू नहीं होता है। उक्त प्रावधान केवल उस मामले पर लागू होता है जहां त्रुटि रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है; जहां मुद्दे का निर्णय निर्विवाद तरीके से नहीं किया जा सकता है, वहां धारा 22 को उपयोग में नहीं लिया जा सकता है; अन्य शब्दों में है की जहां कोई मामला विवादित है वहां राज्य अधिनियम की धारा 22 के तहत कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने कहा कि हिंदुस्तान एल्युमीनियम कॉर्पोरेशन (सुप्रा) के निर्णय में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की कोई गुंजाइश नहीं है और इसलिए, धारा 22 स्पष्ट रूप से लागू होती है।

6. अधिनियम की धारा 22 इस प्रकार है:

"त्रुटियों का सुधारीकरण:

(1) कोई भी अधिकारी या प्राधिकरण, या ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय, स्वयं के प्रस्ताव पर या डीलर या किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति के आवेदन पर, इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा पारित

किसी भी आदेश में किसी भी गलती को सुधार सकता है। सुधार के लिए मांगे गए आदेश की तारीख से तीन साल के भीतर रिकॉर्ड करें: बशर्ते कि जहां इस उप-धारा के तहत कोई आवेदन तीन साल की ऐसी अवधि के भीतर किया गया है, उसे ऐसी अवधि से परे भी निपटाया जा सकता है। बशर्ते कि ऐसा कोई भी सुधार जिसका मूल्यांकन, जुर्माना, फीस या अन्य देय राशि में वृद्धि का प्रभाव हो, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि डीलर या अन्य व्यक्ति को ऐसी वृद्धि से प्रभावित होने की संभावना होने पर सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(2) जहां इस तरह के सुधार से मूल्यांकन को बढ़ाने का प्रभाव पड़ता है, संबंधित मूल्यांकन प्राधिकारी डीलर को निर्धारित फॉर्म में मांग की संशोधित सूचना देगा और वहां अधिनियम के सभी प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम इस तरह लागू होंगे। पहली बार में नोटिस दिया गया था।" (जोर देने के लिए रेखांकित)

7. उपायुक्त (अपील) के अनुसार राज्य अधिनियम की धारा 22 में पूर्ण रूप से विवादित मुद्दों को सुधारने के लिए उपयोग में लिया जाना उचित नहीं होगा और इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां अधिनियम की धारा 22 लागू होती है। ट्रिब्यूनल द्वारा भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था। अपीलकर्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि हिंदुस्तान एल्युमीनियम कॉर्पोरेशन (सुप्रा) के मामले में विचार में ली गई अधिसूचना दिनांक 30.5.1975 की थी जिसके बाद, दिनांक 7.9.1981 की अधिसूचना द्वारा एक संशोधन किया गया जिसके द्वारा प्रविष्टि में "स्क्रेप" को भी शामिल किया गया था। इसलिए, न्यायालय के इस निर्णय ने संशोधन को अनुमति प्रदान की गई थी क्योंकि यह प्रत्यक्ष होता है की स्क्रेप हमेशा मूल धातु के प्रसंस्करण के परिणामस्वरूप

उत्पन्न हुआ होता है और इसी वजह से उससे मूल धातु से अलग नहीं माना जा सकता है।

8. इस न्यायालय ने तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सभी अपीलों में) बनाम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व वाणिज्यिक कर उपायुक्त, अनंतपुर [एआईआर 1964 एससी 1372] में यह निर्णित किया कि:

"एक गलत निर्णय और एक निर्णय जो की किसी ऐसे "स्पष्ट रूप के त्रुटि से निस्तर्ण्य होती है, के बीच एक वास्तविक अंतर होता है, हालांकि वह हमेशा प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। एक पुनर्विलोकन और अपील में बहुत अंतर है और पुनर्विलोकन को भाषा के क्लिष्ट उपयोग से अपील का शकल नहीं दिया जा सकता। अपील से एक गलत निर्णय को दोबारा सुना जाता है और सुधारा जाता है, लेकिन पुनर्विलोकन केवल पेटेंट त्रुटि के लिए होता है। जहां बिना किसी विस्तृत तर्क के कोई त्रुटि की ओर इशारा कर सकता है और यह की इस त्रुटि में कोई विवाद नहीं हो और इसमें कोई दो राय नहीं हो।"

9. पुनर्विलोकन के अधिकार को प्रभाव में लाने के लिए यह आवश्यक है की रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली त्रुटि ऐसी त्रुटि होनी चाहिए जो केवल पत्रावली के अवलोकन से ही प्रत्यक्ष रूप से दर्शित होने लगे और इसके लिए तर्क की या किसी साक्ष्य के विस्तृत आकलन की आवश्यकता नहीं हो। सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण हेगड़े बनाम मल्लिकार्जुन भवनप्पा तिरुयमाले [एआईआर 1960 एससी 137] के मामले में रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

"ऐसी त्रुटि जिसे विस्तृत तर्क एवम जटिल कारणों के सुस्थापित होने के बाद ही माना जाए वह और जहां दो संभावनाओं के बीच काफी कम अंतर हैं और दो राय हो सकती है, उसे पत्रावली पे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने वाली त्रुटि नहीं कहा जा सकता है। जहां एक कथित त्रुटि स्वयं-स्पष्ट नहीं होती है और यदि इसे लंबे और जटिल तर्कों द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है तो ऐसी त्रुटि के सुधार के लिए संवैधानिक न्यायालयाओं द्वारा रिट की विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए उसेजारी करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।"

10. अधिनियम की धारा 22 पर एक नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पत्रावली से स्पष्ट त्रुटि सुधार योग्य है। धारा 22 के प्रावधानों को आकर्षित होने के लिए, मौजूदा गलती प्रत्यक्ष होनी चाहिए और वह पत्रावली के पठान से स्पष्ट होनी चाहिए। हालाँकि, गलती को सुधारने की शक्ति उन मामलों पर लागू नहीं होती जहां पुनरासीक्षण या पुनर्विलोकन का प्रावधान है। "त्रुटि" का अर्थ है गलत तरीके से समझना; व्याख्या करने में त्रुटि करना; यह एक त्रुटि या मिथ्या या भ्रान्ति है। "स्पष्ट" का अर्थ है दृश्यमान; देखने में सक्षम, आसानी से समझ आने वाला। धारा 22 के अंतर्गत परिकल्पना की गई त्रुटि वह है जिसे सुधारा जा सकता है वह है जो पेटेंट है, जो स्पष्ट है और जिसे बिना तर्क या विवाद पर निर्भर नहीं होता है। हमारे विचार में किसी आदेश में सुधार का मतलब मूल रूप से पारित आदेश को खत्म करना और उसके स्थान पर एक नया आदेश देना नहीं है। वर्तमान मामले में राजस्व विभाग जो करने का इरादा रखता था, वह वास्तव में आदेश का प्रतिस्थापन है जो हमारे अनुसार धारा 22 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य नहीं है और इसलिए, उच्च न्यायालय का यह माना कि प्रत्यक्ष रूप से गलती हुई है, वह उचित निष्कर्ष नहीं था। धारा 22 के तहत आवेदन की स्वीकृत के लिए त्रुटी पत्रावली से "स्पष्ट" होनी चाहिए। धारा 22 किसी आदेश को पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन द्वारा पलटने में सक्षम नहीं बनाता है, लेकिन केवल कुछ त्रुटि



को ठीक करने की अनुमति देता है जो पत्रावली पर साफ एवम स्पष्ट रूप से मौजूद है। जहां कोई त्रुटि स्वयं-स्पष्ट नहीं है, वह एक स्पष्ट त्रुटि नहीं रह जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 22 के तहत सुधारी जा सकने वाली गलती लिपिकीय या गुणा, भाग, जोड़ आदि संबंधित गलती तक ही सीमित नहीं है। परंतु दूसरी ओर, यह कोई ऐसी त्रुटि को अंगीकृत नहीं करता है जिससे केवल जांच, तर्क या सबूत की जटिल प्रक्रिया द्वारा खोजा जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य [1966] 17 एसटीसी 360 में यह निर्णित किया गया था कि एक त्रुटि जो पत्रावली से स्पष्ट है वह ऐसी होनी चाहिए और वो ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए जो तथ्यों एवं विधि के विस्तृत तथ्यों पर तर्क वितर्क के बाद निर्धारित की जा सके।

11. "त्रुटि" एक सामान्य शब्द है लेकिन कर कानूनों में इसका विशेष महत्व है। यह कोई अंकगणितीय त्रुटि नहीं है, जिसे उस रिकॉर्ड की विवेकपूर्ण जांच के बाद पहचाना सुगमता से जाना जा सके। "त्रुटी" शब्द का दायरा स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है, क्योंकि एक के लिए जो गलती हो सकती है वह दूसरे के लिए नहीं हो सकती है। यह अधिकतर व्यक्तिपरक है और इसकी विभाजन रेखा प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान नहीं होती है। यह कुछ ऐसा है जिसे आपने विवेक शक्ति का उपयुक्त इस्तेमाल से पता लगा सकते हैं। धारा 22 के शक्तियों का उपयोग के लिए केवल यह जरूरी नहीं है कि पत्रावली पे कोई त्रुटि हो जिसके सुधार के लिए प्रार्थना की गई हो। परंतु सुधारी जाने वाली त्रुटि पत्रावली से स्पष्ट होनी चाहिए। कानून के किसी विवादास्पद मुद्दे या तथ्य के विवादित प्रश्न पर निर्णय पत्रावली से स्पष्ट गलती नहीं है। "स्पष्ट" शब्द का सुगम अर्थ यह है कि यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता हो और यह तर्क या बहस से परे हो। इसलिए, यह उल्लेखित करना उपयुक्त है कि किसी तार्किक तथ्य या विधि के बिंदु को या जब न्यायालय द्वारा तथ्यों पर सटीक एवं विशुद्ध तरीके से नहीं

लागू किया हो और जिसे साबित करने के लिए एक विस्तृत जांच की आवश्यकता हो इससे इस धारा के अंतर्गत सुधार नहीं किया जा सकता।

12. न्यायिक दृष्टांत हिंदुस्तान एल्युमीनियम कॉर्पोरेशन के मामले (सुप्रा) में विवाद एल्युमीनियम पाउडर से संबंधित नहीं था। निर्धारण अधिकारी और उच्च न्यायालय ने जो किया वह उक्त दृष्टांत के निर्णय को एल्युमीनियम पाउडर पर लागू करना था जो की सही दृष्टिकोण नहीं था। और इसलिए ही, करम चंद के मामले (सुप्रा) के निर्णय का भी इस प्रकरण में लागू नहीं होगा।

13. उपरोक्त स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से सतत नहीं है और इसे अपास्त किया जाता न्याय दृष्टि से उपयुक्त होना प्रतीत होता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस मुद्दे पर कोई राय व्यक्त नहीं की है कि क्या कर के भुगतान के उद्देश्य से एल्युमीनियम पाउडर को "प्राथमिक रूप में धातु" माना जा सकता है या नहीं। केवल धारा 22 के तहत सुधार की प्रक्रिया आस्वीकरणीय है और इस प्रकरण में इससे ज्यादा कुछ भी निर्णीत करने योग्य शेष नहीं है।

14. अतः प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाता है। खर्च से संबंधित कोई विशेष आदेश का आधार नहीं पाया जाता है, इसलिए खर्च के लिए कोई आदेश नहीं पारित किया जा रहा।

डी.जी.

अपील मंजूर की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी मोहित आनंद (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।